292

संख्या– /XV-2/01(13/2006

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 16 मई, 2017:

विषय– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 आयोजनागत पक्ष में महिला डेरी विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–101–02/लेखा–प्रस्ताव आयो0 महिला डेरी/2017–18, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में डेरी विकास विभाग को महिला डेरी विकास योजना (सामान्य) के अन्तर्गत निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित मदों में कुल धनराशि ₹ 66.67 लाख (₹ छियासठ लाख छियासठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क0सं0	मद का नाम)	स्वीकृति धनराशि
1.	महिला दुग्ध समितियों का गठन	10.80
2.	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	46.20
3.	प्रपोलसन चार्जेज	1.45
4.	एक्सटेंशन एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	5.77
5.	ओवरराईडिंग कॉस्ट	2.45
	योग–	**66.67**

1. उक्त स्वीकृति जनपदवार सम्बन्धित सहायक निदेशक, डेरी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप किया जायेगा।
3. वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिये जाने से यदि परिव्यय में कोई परिवर्तन होता है, तो विभाग अपनी बचतों से व्यावर्तन कर अपेक्षित संशोधन कर लेगा।
4. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
6. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

7. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
9. धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण शासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–04–महिला डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–अलाटमेन्ट आई.डी.

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– 196 (1)/XV-2/2017तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. संयुक्त निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, सम्पर्क कार्यालय, देहरादून।
9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।